राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–498/2025

मांगीलाल जाट

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
3. सहायक निदेशक कृषि(वि.), मु. पाचला, सांगानेर, जयपुर।
4. सीता देवी सामोटा, कृषि पर्यवेक्षक जरिये आयुक्त, कृषि, राजस्थान, कृषि पंत भवन, जयपुर राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यालय सहायक निदेशक कृषि(वि.), मु. पचाला, सांगानेर, जिला जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण मु. जटवाड़ा, सहा.निदे.कृषि (वि.) अलवर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण

9 माह की अल्पावधि में किया गया है। पूर्व में रामनिवास यादव द्वारा अपील संख्या 714/2024 इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिसमें उसने कथन किया था कि वह मुख्यालय पचाला, सहा.निदे. कृषि(वि.), जयपुर में कार्यरत है। उसका स्थानांतरण सीकर किया गया था, जिस आदेश को उसने चुनौती दी थी। अधिकरण ने उक्त अपील में आदेश दिनांक 07.03.2024 पारित कर उक्त रामनिवास यादव के स्थानांतरण पर अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया था। उक्त अपील अभी तक लम्बित है। उक्त प्रभावी रहने के कारण रामनिवास यादव मु. पचाला में ही कार्यरत है, जहां पर वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपास्त फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया। हम पाते हैं कि वर्तमान स्थानातंरण आदेश से रामनिवास यादव का भी अन्यत्र स्थानांतरण किया गया है। ऐसे में इस अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश के आधार पर अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश गलत होना नहीं माना जा सकता है। पूर्व में रामनिवास यादव द्वारा प्रस्तुत अपील में पारित स्थगन आदेश के आधार पर अपीलार्थी का स्थानांतरण होना गलत नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी का आगे यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी के स्थानांतण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। हम पाते है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में निम्न शर्त अंकित है :-

> *"यह आदेश माननीय मंत्री, कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा व जन अभियोग निराकरण विभाग, पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार से अनुमोदित है।"*

4. अतः हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश सक्षम अधिकारी स्तर पर अनुमोदित है। ऐसे में हम अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। इस संबंध में हमारा मत है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण में किसी

प्रकार की दुर्भावना रही हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)